



प्रतिवादी मध्य व्यवस्थापक लामिका मू-पना के न्यायालय हावा में उपास्थित नहीं आगे के कारण आदेशिका दिनांक 13.2.16 के अनुसार एक प्रतीय कार्यवाही आगल में लार् गई। इसके परन्तल दिनांक 12.3.16 को आगे विर मोंन अदालत में अकरण में आयमिल डिडी जारी की गई है। प्राथमिक डिडी की फामका में लब्धी लर उद्यपुत्रवाही द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति स्तमाध नहीं आगे के कारण अकरण में अंतिम डिडी जारी की जा चुकी है। अकरण में प्रतिवादी मध्य की तामिल परिये रेव्क सर्व से होने के बावजूद भी प्रतिवादी मध्य निमत तिथि पर न्यायालय हावा में उपास्थित नहीं आगे। प्राथमिक अकरण में प्राथमिक की अकरण के संख्य में कोई धानकारी नहीं थी, लब्धी के विपरीत है। प्राथमिक अकरण प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर भी आपति प्रस्तुत कर सकता था लेकिन प्राथमिक द्वारा इस प्रकार का कोई अ.पन सादि प्रस्तुत नहीं किया गया। अकरण में विधिवत प्रक्रिया के तहत निस्तारण हुआ है। उक्त विवेचन के स्पष्ट है कि प्राथमिक प्रस्तुत अकरण के प्रति गंभीर नहीं था। ऐसी स्थिति में प्राथमिक का प्राथमिक अ.पन अ. आदेश 9 निमत 13 CPC आपावहीन होने के अन्तर्गत किया जाना है प्रमाणों के अभाव में अकरण अकरण के अभाव में अकरण दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
उद्यपुत्रवाही (अकरण)